



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 165 राँची, सोमवार,

20 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

20 फरवरी, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-644/2014 का.- 954--श्री सलमान जफर खिजरी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के विरुद्ध मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2701693, दिनांक 20.11.2013 द्वारा श्रीमती आरशी तबस्सुम, पति- श्री सलमान जफर खिजरी का परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त परिवाद पत्र में श्रीमती आरशी तबस्सुम द्वारा अपने पति श्री खिजरी के विरुद्ध दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना तथा मासूम बच्ची को जान मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-3746, दिनांक 03.06.2014 द्वारा श्रीमती आरशी तबस्सुम का अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती आरशी तबस्सुम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री खिजरी के विरुद्ध लोअर बाजार थाना कांड सं०-244/13 (जी०आर० नं०-5765/13) में न्यायालय से वारंट निर्गत है। श्री खिजरी का अग्रिम जमानत श्री आर०के० चौधरी, ए०जे०सी 18, राँची के न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2014 को निरस्त किया गया है। उक्त के आधार पर श्रीमती आरशी तबस्सुम द्वारा श्री खिजरी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची से परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप के संबंध में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन एवं लोअर बाजार थाना कांड सं०-244/13 की अद्यतन स्थिति की माँग की गयी। उपायुक्त, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि लोअर बाजार थाना कांड सं०-244/13 को माननीय न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 29.06.2015 को ही बंद कर दिया गया है तथा पत्र के साथ **Judicial Magistrate 1st Class, Ranchi** द्वारा जी०आर० नं०-5765/13 में दिनांक 29.06.2015 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी ।

विभागीय पत्रांक-10400, दिनांक 06.10.2017 द्वारा उपायुक्त, राँची से पारित न्यायादेश की सत्यापित प्रति तथा विभागीय 10402, दिनांक 06.10.2017 द्वारा श्री खिजरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में उनके द्वारा पत्रांक-1316, दिनांक 05.12.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए कहा गया कि व्यवहार न्यायालय, राँची के जी०आर० नं०-5765/13 के आलोक में दिनांक 18.06.2015 को मध्यस्ता केन्द्र में आपसी सहमति से अपना वैवाहिक संबंध विच्छेद करने का फैसला किया। इसके पश्चात् दिनांक 17.06.2015 को व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार इमारते शरिया, राँची में तलाक की प्रक्रिया आपसी सहमति से पूर्ण कर ली गई। दोनों पक्ष आपसी सहमति से व्यवहार न्यायालय से जी०आर० नं०-5765/13 की वापसी की प्रक्रिया श्री मनोज कुमार मिश्र, न्यायिक दण्डाधिकारी, राँची के न्यायालय से दिनांक 29.06.2015 को पूर्ण कर ली गयी। इनदोनों ने आपसी सहमति से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है ।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री सलमान जफर खिजरी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के विरुद्ध श्रीमती आरशी तबस्सुम, पति- श्री सलमान जफर खिजरी से प्राप्त परिवाद पत्र को संचिकास्त किया जाता है ।

चिन्टूदोराई बुरु

सरकार के अवर सचिव ।
